



केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)  
 18ए संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
**18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.**  
**Tel.: 011-2695168, 8860748880**  
**Email- mpquota@kvs.gov.in**  
 Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक-20.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Naranbhai Bhikhabhai Kachhadiya** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 106 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020.21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	KRISHABA	HIRENDRASINH AJITSINH PADHIYAR, MOB-9687535599	7	RAJKOT
2	PARAM	MEHULKUMAR BHARADVA, MOB- 9825657430	2	RAJKOT
3	PRIYANSH	BHAVESHBHAI BABUBHAI KACHHADIYA, MOB-8485946860	1	RAJKOT
4	MISHREE	MANOJBHAI PRAGJIBHAI GOL, MOB- 9924335171	3	RAJKOT
5	SHWET	PANKAJBHAI MAVJIBHAI KAPADIYA, MOB-9925900388	2	RAJKOT
6	ANGEL	MAULIBHAI KANTIBHAI ANTALA, MOB-9228300005	4	RAJKOT
7	GOPAL	NEHALKUMAR JAYSUKHBHAI BHATT, MOB-9428968484	5	RAJKOT
8	ARUSHI	MAHAVIRBHAI DANABHAI MANJARIA, MOB-9978005711	2	RAJKOT
9	ZALAK	BHARATBHAI VAJUBHAI GAJERA, MOB-9979194745	1	RAJKOT
10	HARDIK	HIRABHAI JIVANBHAI KATODIYA, MOB-9825702541	4	RAJKOT

पिया ठाकुर

कृ. पृ. 3.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा कें. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Naranbhai Bhikhabhai Kachhadiya माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, **AHMEDABAD** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

